34 1 सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के उच्च स्तरीय एक्जीक्यूटिवों के लिए निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में कार्य करने संबंधी प्रतिबंध।

1. डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(22)/99–जीएम–जीएल–022 दिनांक 25.1.2000
2. डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(22)/99–जीएम–जीएल–31 दिनांक 10.5.2001
3. डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(22)/99–जीएम–जीएल–32 दिनांक 10.5.2001
3. डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(22)/99–जीएम–जीएल–039 दिनांक 2.9.2002

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मार्जिनली नोट किए का.ज्ञा. का हवाला देने तथा यह कहने का इस दिन डीपीई दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सीवीसी के परामर्श से इन निदेशों की समीक्षा की गई है।

2. इन दिशानिर्देशों के प्रतिस्थापन में सार्वजनिक उद्यमों के सीडीए नियमों/सेवा नियमों में तथा मुख्य एक्जीक्यूटिवों सहित पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति के विनियमों व शर्तों में भी निम्नांकित प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

"मुख्य एक्जीक्यूटिवों सहित कंपनी में कार्यरत कोई भी निदेशक जो कंपनी की सेवा से निवृत्त/त्याग–पत्र दे चुके हैं, ऐसी सेवानिवृत्ति/त्याग–पत्र के बाद सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी भी फर्म या कंपनी में अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक साल के भीतर सलाहकार या प्रशासनिक, कोई नियुक्ति या पद स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके साथ कंपनी का व्यापारिक संबंध है अथवा था। सेवानिवृत्ति शब्द के अर्थ में शामिल है– त्याग–पत्र, लेकिन उनके मामले नहीं, जिनकी नियुक्ति की शर्तें साबित दुराचरण के इतर कारणों से सरकार द्वारा आगे नहीं बढाई गई। 'व्यापारिक संबंध' शब्द में 'कार्यालयी संबंध' भी शामिल हैं।"

3. मुख्य एक्जीक्यूटिव सहित क्रियाशील निदेशक जो बिना सरकार की अनुमति के किसी निजी वाणिज्यिक फर्मों में कार्य स्वीकार करेंगे, तो वे सीपीएसई के पूर्णकालिक/अल्पकालिक निदेशक नियुक्त किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन निषेधों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई निषेध का किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर क्षति के रूप में उसके द्वारा देय उपयुक्त राशि के लिए सीपीएसई के निदेशक के रूप में उसके कार्यभार ग्रहण करने/निवृत्ति/त्याग–पत्र के समय संबंधित व्यक्ति से एक बांड सुनिश्चित करेगा।

4. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मुख्य एक्जीक्यूटिव सहित क्रियाशील निदेशकों से प्राप्त अनुरोधों की जांच मामला दर मामला आधार पर मामले की मेरिट के आधार पर संबंधित सीपीएसई से 'अनापत्ति' प्राप्त करने के बाद करेगा तथा अपने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से सेवानिवृत्ति–पश्चात रोजगार के लिए अनुमति देता है।

5. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान करेगाः–

क. संबंधित अधिकारी का भावी नियोक्ताओं के साथ पांच वर्ष पूर्व तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

ख. क्या पूर्व मुख्य एक्जीक्यूटिव या पूर्व क्रियाशील निदेशक अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में उन संवेदनशील या रणनीतिक सूचनाओं का राजदार रहा है, जो उस संगठन से जुड़े हित वाले क्षेत्र या कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, जिसमें वह कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव करता हो या वह क्षेत्र जिसमें वह प्रैक्टिस/परामर्श का प्रस्ताव करता हो।

ग. क्या वह विगत पांच वर्षों तक जिस पद पर रहा उस पद की नीतियों अथवा उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रस्वावित संगठन द्वारा प्रतिनिधित्व या आरंभ किए गए कार्य के हितों के बीच टकराव है। तथापि ऐसे हितों के टकराव की व्याख्या सरकार या इसके उद्यमों के साथ सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए संकीर्ण रूप से नहीं की जानी चाहिए।

घ. क्या पूर्व मुख्य एक्जीक्यूटिव या पूर्व क्रियाशील निदेशक की निष्ठा संबंध विशेषकर सरकार तथा सीपीएसई/गैर–सरकारी संगठनों के साथ संदेह से परे है।

ङ. आवेदक के वाणिज्यिक कर्त्तव्य में सरकारी विभाग/पीएसई के साथ संबंध या संपर्क शामिल नहीं होगा।

च. आवेदक के नियोक्ता को कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी के विगत कार्यालयी पद/अनुभव/ज्ञान का अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए तथा –

छ. मौजूदा इमॉल्यूमेंट्स एवं आर्थिक लाभ उद्योग में वर्तमान में प्रचलित इमॉल्यूमेंट एवं लाभों से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। शब्द 'बहुत अधिक' की व्याख्या ऐसे लाभों को कवर करने के लिए संकीर्ण रूप से नहीं की जानी चाहिए जिसके कारण कुल मिलाकर उद्योग या अर्थव्यवस्था में उछाल आता है।

6. इस बात को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कि सभी संबंधित विवरण सेवानिवृत्ति पश्चात रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए उपलब्ध है, आवेदन का नमूना फार्म संलग्न है।

7. सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेवानिवृत्ति के बाद किसी प्रकार की नियुक्ति/पद स्वीकार करने संबंधी अनुमति प्रदान करने संबंधी आवेदन पर अंतिम निर्णय लेगा और हर दृष्टि से पूर्ण आवेदन की प्रप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इससे आवेदक को अवगत कराएगा, यदि आवेदक को उक्त 30 दिनों के भीतर इस बात की सूचना नहीं दी जाती है, तो आवेदक अनुमति प्रदान कर दी गई है, ऐसा मानकर कार्य ग्रहण कर सकता है।

8. जब कभी भी ऐसे अनुरोधों पर अनुमति से इंकार किया जाए, तो आवेदक को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाना चाहिए एवं डीपीइ के साथ परामर्श के बाद इस संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाना चाहिए।

9. सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध है कि वे इसका कड़ाईपूर्वक से पालन करें एवं इन दिशानिर्देशों के विषय वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के संज्ञान में लाएं।

सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने के लिए पीएसई कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव्स) को अनुमति के लिए आवेदन का फार्म।

1. ***कार्यकारी*** का नाम ....
   (बड़े अक्षर में)

2. सेवानिवृत्ति की तिथि ....

3. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/पीएसई का विवरण जिसमें कार्यकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व विगत पांच वर्ष कार्य किए थे (अवधि के साथ):

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/ पीएसई का नाम।	**आयोजित पद**	**अवधि**	
		कब से	**कब तक**

4. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं उस पद पर कार्य करने की अवधि ....

5. उस पद का वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति के समय एक्जीक्यूटिव द्वारा लिया जाने वाला वेतन........ ....

6. पेंशन लाभः

प्रत्याशित/संस्वीकृत पेंशन, यदि कोई हो (पत्राचार यदि कोई हो, तो बताया जाए)	ग्रेच्युटी, यदि कोई

7. वाणिज्यिक रोजगार से संबंधित ब्यौरा जो शुरू किया जाना है–

   क. फर्म/कंपनी/सहकारी समिति, आदि का नाम।
   ख. फर्म द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद/फर्म द्वारा किए जाने वाले व्यापार का प्रकार, आदि
   ग. क्या विगत 5 वर्षों के दौरान एक्जीक्यूटिव रहे हैं
   घ. अपनी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के पूर्व फर्म के साथ कोई कार्यालयी संबंध।
   ङ. फर्म के साथ कार्यालयी संबंधों की अवधि एवं प्रकृति

च. क्या वह पीएसई जिसमें वह एक्जीक्यूटिव कार्यरत था, के साथ फर्म का कोई लेन–देन था आदि यदि हां, तो ब्यौरा दें

छ. प्रस्तुत नौकरी/पद का नाम

ज. क्या उस पद का विज्ञापन किया गया था, यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव कैसे प्राप्त हुआ (समाचारपत्र की कटिंग तथा नियुक्ति पत्र की एक प्रति संलग्न करें यदि कोई हो)

i. नौकरी/पद के कार्य का विवरण

8. कोई घोषणा जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता हो

9. घोषणाः–

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि–

i. विगत 5 वर्षों में भावी नियोक्ता के साथ मेरा कोई लेन–देन नहीं रहा है। प्रस्तावित रोजगार मेरे द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान धारित पद की नीतियों के तथा संगठन द्वारा प्रतिनिधित्व किए हित या कार्य के बीच हितों का कोई टकराव नहीं है;

ii. वह रोजगार जिसे मैं ग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूं, वह मुझे सरकार/पीएसई के साथ टकराव में लाकर खड़ा नहीं करेगा;

iii. मेरा वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसा नहीं होगा कि सरकार/पीएसई के अधीन मेरे विगत पद या ज्ञान या अनुभव का उपयोग मेरे प्रस्तावित नियोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए;

iv. मेरे वाणिज्यिक कर्तव्य में सरकारी विभाग/पीएसई के साथ संपर्क या संबंध संलग्न नहीं होगा।

v. मैं अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में उन संवेदनशील या रणनीतिक सूचनाओं का राजदार नहीं रहा हूं जो उस संगठन से जुड़े हित वाले क्षेत्र या कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जिसमें मैं कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूं या वे क्षेत्र जिसमें मैं प्रैक्टिस/परामर्श का प्रस्ताव करता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

पताः

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(22)/99–जीएम–जीएल–91 दिनांक 15 मई, 2008)

*****